प्रेषक,

संख्या:1/392/12-5-2014-31/2014

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)296/ वित्तीय स्वीकृति 2014-15, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शेष अवधि (अगस्त, 14 से मार्च, 15 तक) में व्यय वहन हेतु निम्नानुसार धनराशि रू0 20711 हजार (रूपये दो करोड सात लाख ग्यारह हजार मात्र) की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2014-15	लेखा अनुदान की अवधि (अप्रैल , 14 से	शेष अवधि (अगस्त,14 से मार्च,15) की

http://srfcnadesh.up.nic.in

		जुलाई, 14) की स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि ।
2401- फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर - 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-			
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	31066	10355	20711
योग-	31066	10355	20711

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17-01-79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17-01-79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेडा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-

http://shasanadesh.up.nic.in

विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव ।

संख्या -392)1/(12-5-2014 तददिनांक , |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ ।
3- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (वित्त-आय) अनुभाग-1 ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- कृषि अनुभाग-3 एवं 5 ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव

http://krishisandesh.up.nic.in